

# पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री  
अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गुलाबाराम पुत्र केशनाराम 2 चम्पादेवी (राठोड चम्पा बेन) पत्नि गुलाबाराम (गुलाबभाई) जाति सांसी निवासी सांसीयो का तला, महाबार तहसील व जिला बाडमेर।		1 रूपाराम पुत्र किशनाराम जाति सांसी निवासी सांसीयो का तला, महाबार तहसील व जिला बाडमेर 2. तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 162/2025

निर्णय दिनांक :- 25.08.2025

वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.08.2025 को श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा सांसीयो का तला पटवार हल्का महाबार तहसील बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 689/522 रकबा 7.4624 हैक्टेयर भूमि में वादीगण संख्या 1 का 1/16 हिस्सा व वादिगण संख्या 2 का 7/8 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काशत अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर 1 को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 25.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर,

(एस.डी.ओ.) बाडमेर

(SDO) बाडमेर

## वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	